बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

(22)

—: अधिसूचना :—

सं0—प्र02 वि01—49/2020 3572 पटना, दिनांक— 26/08/2021

बिहार सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 35) की धारा—6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:—
   (1) यह नियम उपभोक्ता संरक्षण (राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद) नियम, 2021 कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ:— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा अपेक्षित हो,—
   (क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 35);
   (ख) 'राज्य परिषद' से अधिनियम की धारा—6 की उपधारा—1 के अधीन स्थापित राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद अभिप्रेत है;
   (ग) 'जिला परिषद' से अधिनियम की धारा—8 की उपधारा—1 के अधीन स्थापित जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद अभिप्रेत है;
   (घ) 'अध्यक्ष' से राज्य परिषद एवं जिला परिषद का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
   (ङ) इनमें उपयोग किए गए ऐसे शब्द और वाक्यांश, जिन्हें इनमें परिभाषित नहीं किया गया है परंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का अर्थ वही होगा जैसा अधिनियम में परिभाषित किया गया हो।

3. (क) राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद

(i) राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की संरचना — राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में अधिकतम 30 सदस्य होंगे। उक्त परिषद की संरचना निम्नवत् होगी :—

A. मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना जो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष होंगे।

B. (i) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग।
   (ii) प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग।
   (iii) प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग।
   (iv) प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग।
   (v) प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग।
   (vi) प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
   (vii) प्रधान सचिव/सचिव, वाणिज्यकर विभाग।
   (viii) खाद्य संरक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग।
   (ix) अध्यक्ष, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति।
   (x) अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन।
   (xi) निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय।
   (xii) नियंत्रक, माप एवं तौल, कृषि विभाग।
   (xiii) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।

C. निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना।

D. राज्य सरकार द्वारा नामित उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता सक्रिय कार्यकर्ता, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संगठनों, अकादमीशियनों, कृषकों, व्यापार अथवा उद्योग—जगत से लिए उपभोक्ता हितों का

प्रतिनिधित्व करने में सक्षम अनुभूत विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले प्रतिनिधि, जिनकी संख्या चार से अधिक नहीं होगी, जिनमें कम–से–कम एक महिला होगी।

E. दस से अनधिक उतने शासकीय या गैर–शासकीय सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाऐंगे।

F. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य सचिव होंगे।

3. (ख) <u>जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद</u>

(i) जिला परिषद की संरचना – प्रत्येक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद में अधिकतम 15 सदस्य होंगे। उक्त परिषद की संरचना निम्नवत् होगी :–

A. जिला पदाधिकारी, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष होंगे।

B. (i) उप विकास आयुक्त।
(ii) अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग।
(iii) जिला शिक्षा पदाधिकारी।
(iv) जिला असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी।
(v) जिला आपूर्ति पदाधिकारी।
(vi) जिला कल्याण पदाधिकारी।
(vii) जिला कृषि पदाधिकारी।
(viii) जिला पंचायती राज पदाधिकारी।
(ix) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र।
(x) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0)।
(xi) जिला माप एवं तौल पदाधिकारी।
(xii) प्रबंधक, जिला लीड बैंक।

C. राज्य सरकार द्वारा नामित उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता सक्रिय कार्यकर्ता, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संगठनों, अकादमीशियनों, कृषकों, व्यापार अथवा उद्योग–जगत से लिए उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम अनुभूत विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले प्रतिनिधि, जिनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी, जिनमें कम–से–कम एक महिला होगी।

3. (ग) जब तक इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिसूचना में उपभोक्ता संरक्षण परिषद से अभिप्रेत है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद/जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद।

4. **उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल** – उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, परन्तु उपभोक्ता संरक्षण परिषद तीन माह की अतिरिक्त अवधि अथवा इसका पुर्नगठन किए जाने की अवधि तक, जो भी पहले हो, कार्य करती रहेगी।

5. **उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्यों का त्यागपत्र** – कोई भी सदस्य, उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित स्व–लिखित सूचना देते हुए, उपभोक्ता संरक्षण परिषद से त्यागपत्र दे सकता है।

6. **त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति** –
(1) उपरोक्त कंडिका 3 (क) एवं (ख) के अधीन किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को सदस्यों की उसी श्रेणी से नई नियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।
(2) उपरोक्त कंडिका 3 (क) एवं (ख) के अधीन किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति भरने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति केवल उसी अवधि तक पद पर रहेगा, जिस अवधि के लिए, यदि रिक्ति उत्पन्न न हुई होती, मूल सदस्य पद पर रहने का हकदार था।

7. **कार्य समूह** – (1) अधिनियम के अधीन अपने कार्यो का निष्पादन करने के प्रयोजन से, उपभोक्ता संरक्षण परिषद इसके सदस्यों में से ऐसे कार्य समूह का गठन कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे और इस प्रकार गठित किया गया प्रत्येक कार्य समूह ऐसे सभी कार्यो का निष्पादन करेगा जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा इसे सौंपे जाएंगे।

(2) उपभोक्ता संरक्षण परिषद प्रत्येक कार्य समूह को स्पष्ट रूप से परिभाषित ऐसे कार्य सौंपेगी जो विचारार्थ विषयों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए जाएं और जिसमें यह समयावधि भी सम्मिलित होगी, जिसके भीतर ऐसे कार्य पूरे किए जाने है।

(3) कार्य समूह उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे।

(4) प्रत्येक कार्य समूह के निष्कर्षो को उपभोक्ता संरक्षण परिषद के विचारार्थ इसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) कार्य समूह उस कार्य के पूरा होने के पश्चात कार्य करना बंद कर देगा, जिसके लिए इसे गठित किया गया था।

8. कार्य संचालन के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकें –

(1) राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकें साधारणतया राजधानी क्षेत्र पटना में एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक संबंधित जिला मुख्यालय में आयोजित की जाएंगी। परन्तु उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जब अध्यक्ष का यह मत हो, कि ऐसा करना उपयुक्त है, किसी अन्य स्थान पर अपनी बैंठकें आयोजित कर सकती है।

(2) उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकों की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष, अथवा उनकी अनुपस्थिति में इस प्रयोजनार्थ चुने गए उपभोक्ता संरक्षण परिषद के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

(3) उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक, अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रत्येक सदस्य को बैठक की आयोजित तारीख से कम–से–कम पन्द्रह दिन पहले डाक अथवा ई–मेल के माध्यम से त्वरित संप्रेषण को सुकर बनाने के लिए लिखित सूचना देते हुए बुलाई जा सकती है।

(4) उपभोक्ता संरक्षण परिषद की प्रत्येक बैठक की सूचना में बैठक का समय, तारीख और स्थान तथा बैठक के लिए कार्यसूची की मदों की जानकारी दी जाएगी।

(5) उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक के दौरान कार्यसूची में सम्मिलित न किए गए किसी भी मामले पर अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, जैसा भी मामला हो, की अनुमति को छोड़कर, चर्चा नही की जाएगी।

(6) उपभोक्ता संरक्षण परिषद की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत का मसौदा यथा संभव शीघ्र और प्रत्येक बैठक के समापन से अधिकतम एक सप्ताह की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा तथा बैठक के कार्यवृत को अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा अनुमोदित उपभोक्ता संरक्षण परिषद की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत के मसौदे को अगली बैठक में अंगीकार किए जाने हेतु यथाशीघ्र उपभोक्ता संरक्षण परिषद के प्रत्येक सदस्य को अग्रेषित किया जाएगा।

(8) किसी रिक्ति के होने अथवा उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन में किसी दोष के होने मात्र से उपभोक्ता संरक्षण परिषद की कोई भी कार्यवाही अवैध नहीं ठहरायी जाएगी।

9. व्यय और बैठक शुल्क की प्रतिपूर्ति –उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य निम्नलिखित के हकदार होंगे :–

(क) सदस्यों का यात्रा भत्ता :– विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों एवं सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा, जो उन्हें उनके पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसें अपने वेतनादि प्राप्त होने वाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे।

(ख) उप–नियम (क) के अधीन किया गया प्रत्येक दावा उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य द्वारा इस प्रमाणन के अध्यधीन होगा कि वे उपभोक्ता संरक्षण परिषद अथवा इसके किसी कार्यसमूह की बैठक में भाग लेने के प्रयोजन से अपने दौरे के दौरान राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा संगठन से किसी लाभ का दावा नहीं करेंगे।

(ग) स्थानीय सदस्यों के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सदस्य ऐसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे, जो राज्य सरकार के श्रेणी –1 के पदाधिकारियों को अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष 3456 नागरिक पूर्ति योजना से होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

26/8

(विनय कुमार)

सरकार के सचिव।

1 10 [illegible]

(19) (158)

ज्ञापांकः–प्र02वि01–49/2020 3572 /खाद्य, पटना/दिनांकः– 26/08/2021

प्रतिलिपिः– राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/खाद्य संरक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग/अध्यक्ष, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति/अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय/नियंत्रक, माप तौल, कृषि विभाग/निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–प्र02वि01–49/2020 3572 /खाद्य, पटना/दिनांकः– 26/08/2021

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0)/जिला माप तौल पदाधिकारी/प्रबंधक, जिला लीड बैंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–प्र02वि01–49/2020 3572 /खाद्य, पटना/दिनांकः– 26/08/2021

प्रतिलिपिः– निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, सभी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–प्र02वि01–49/2020 3572 /खाद्य, पटना/दिनांकः– 26/08/2021

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार विधान परिषद/बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–प्र02वि01–49/2020 3572 /खाद्य, पटना/दिनांकः– 26/08/2021

प्रतिलिपिः– सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–प्र02वि01–49/2020 3572 /खाद्य, पटना/दिनांकः– 26/08/2021

प्रतिलिपिः– सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/निबंधक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–प्र02वि01–49/2020 3572 /खाद्य, पटना/दिनांकः– 26/08/2021

प्रतिलिपिः– ई0 गजट प्रभारी, वित्त विभाग, पटना को विषयशीर्ष के साथ दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

अनु0:– यथोक्त।

ज्ञापांकः–प्र02वि01–49/2020 3572 /खाद्य, पटना/दिनांकः– 26/08/2021

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति ई0मेल एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।